



न्यायालयः माननाय गोजस्व मण्डल पश्चिमदेश, ज्ञालिय
ग्रन्थालय/शिवपुरी/झंरा/2018/1431
प्रकरण क्रमांक ।२०१८ फुराहाण

न्यायालय
26-३-१८
माननाय गोजस्व
6-३-१८ निर्णय
ग्रन्थालय ।२६-३-१८

- १) नारायणसिंह कुमार शुभरसिंह, बायु ४७ वर्ष,
- २) हास्तसिंह पुत्र शुभरसिंह यादव, बायु ४५ वर्ष,
निवासोगण ग्राम सेमरा, तेहसील करेरा, जिला
शिवपुरी ----- आवैदकगण

विरुद्ध

- १) गौपत्रिवर वैवा सल्पसिंह, बायु ६७ वर्ष,
 - २) लालसिंह,) पुत्रगांत सल्पसिंह,
 - ३) जैनकसिंह,)
 - ४) रामलाला पुत्रा सल्पसिंह गुर्जर
 - ५) देवनंक पुत्र नी सल्पसिंह, गुर्जर
निवासोगण ग्राम उटवा
 - ६) ऊणा,) पुत्रोगण तरुपसिंह,
 - ७) पुत्रल,)
- निवासोगण ग्राम उटवा, तेहसील करेरा,
जिला शिवपुरी (म०प्र०) --- अनावैदकगण

पुरीरोहाण अन्तर्गत घारा ५० म०प्र० फुराहाण सहिता १८५८
विरुद्ध वाकैस दिनांक १०-१-१८ जौ कि श्री कलैकटर महोदय,
शिवपुरी घारा ५० कृष्ण पूरा २०१०-११ निगरानी बउनवान
नारायणसिंह गोदे वनाम गोरचक्कुवर जादि ।

माननाय महोदय,

आवैदकगण का थोर से पुनरोहाण निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

अधिकृत तथ्य :

- (अ) यहेकि, अनावैदकगण के पिता घारा दिन २६-१२-२००२ को
किंव गर रजिस्टर्ड विश्वय-पत्र जौ गोवैदकगण के द्वित में सम्पादित किया
था, उक्त रजि स्टर्ड विश्वय-पत्र के आधार पर आवैदकगण घारा तेहसीलदार

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक निगरानी / एक / शिवपुरी / 2018 / भूरा / 1431

स्थान दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
७.२.१९	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र त्यागी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 52 / 2010-11 में पारित आदेश दिनांक 10/01/18 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2— म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:—</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन—</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में स्थानात्मक किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 15/4/19</p> <p>अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर</p> 	